





## भोपाल में मतगणना



01



04



06



02



05



07



03



08

भोपाल में लोकसभा सीट के लिए पुरानी जेल में मतगणना सुबह से शुरू हुई। इस दौरान मतगणना स्थल के आसपास गहमागहमी रही, कांग्रेस उम्मीदवार अरुण श्रीवास्तव कार्यकर्ताओं के साथ जा पहुंचे वहीं भाजपा प्रत्याशी आलोक शर्मा ने घर से निकलने के पहले माता-पिता का आशीर्वाद लिया।

अस्पतालों, दफतरों में आग से परेशान सरकार

# फायर प्लान नहीं तो हजार रुपए रोज लगेगा अर्थदंड

भोपाल, दोपहर मेट्रो। अब ऐसे भवन स्वामी जिन्होंने फायर प्लान नहीं लिया है, उनसे अब सरकार जुर्माना वसूलकर जिम्मेदार बनाने की तैयारी में है। इनसे 500 से एक हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदंड वसूला जा सकता है। इस संबंध में सरकार ने प्रदेश में जारी किए जा रहे फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

भोपाल, दोपहर मेट्रो।

दरअसल, मध्य प्रदेश में अस्पतालों और शासकीय भवनों में आग लगने की बढ़ती घटनाओं के चलते नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने 16 दिसंबर 2022 को भूमि विकास नियम 2012 में नई व्यवस्था कर फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र देने का प्रावधान किया था। इसके तहत भवन स्वामी या संचालक को अग्निशमन प्राधिकारी के समक्ष फायर प्लान तैयार कर प्रस्तुत करना होता है, लेकिन शासन को लगता है कि पिछले दो



## एक साल की लापरवाही पर दोगुना जुर्माना

ताजा निर्देश के अनुसार 16 दिसंबर 2022 के बाद दो माह अर्थात 16 फरवरी 2023 से 15 फरवरी 2024 तक ऐसे भवन स्वामियों से एक साल की समयवधि तक प्रतिदिन 500 रुपये इस हिसाब से एक लाख 82 हजार 500 रुपये अर्थदंड वसूला जाएगा। जबकि एक साल पूरे होने पर 16 फरवरी 2024 से 29 मई 2024 तक दो गुना अर्थदंड यानी एक हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से एक लाख चार हजार रुपये वसूले जाएंगे। यानि कुल दो लाख 86 हजार 500 रुपये अर्थदंड वसूला जाएगा। फायर प्लान तैयार कर अग्निशमन प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं करने वाले भवन स्वामियों व संचालकों को नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाएगी।

साल से अधिकांश भवन स्वामियों द्वारा फायर प्लान प्रस्तुत ही नहीं किया। इस बीच सतपुड़ा और वल्लभ भवन में आग लगने की घटनाएं हो गईं। अस्पतालों में भी आग से जनहानि हो चुकी है। इसे देखते हुए आयुक्त नगरीय

प्रशासन एवं विकास भरत यादव ने कलेक्टरों को पत्र लिखकर 16 दिसंबर 2022 में किए गए प्रविधानों स्मरण कराते हुए फायर प्लान न देन वाले भवन स्वामियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

परिक्षाएं स्कूलों में पूर्व निर्धारित समय पर ही आयोजित की जाएगी

# सरकारी स्कूलों के समय में जिला शिक्षा अधिकारी कर सकेंगे बदलाव

भोपाल, दोपहर मेट्रो।

बढ़ती भीषण गर्मी के बीच स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूलों के समय को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिसके अनुसार, जिला शिक्षा अधिकारी सरकारी स्कूलों के समय में परिवर्तन कर सकेंगे। सरकारी स्कूलों में वर्तमान में समय सुबह 10:30 से शाम 4:30 बजे तक होता है, जिसे जिला शिक्षा अधिकारी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार बदल सकेंगे। हालांकि स्कूलों के संचालन की कुल अवधि में कोई बदलाव या कमी नहीं की जा सकेगी। स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव प्रमोद सिंह ने इस संबंध में सभी जिलों को आदेश जारी किए हैं। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि परीक्षाएं पहले से निर्धारित समय के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 15 जून 2024 तक के लिए प्रभावी होगा।

भोपाल में स्कूलों में 15 जून तक सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक लगेगी कक्षाएं: राजधानी भोपाल में 15 जून तक स्कूल सुबह 7 बजे से दोपहर 1



बजे तक संचालित होंगे। यह व्यवस्था सरकारी स्कूलों के लिए लागू की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी अंजनी कुमार त्रिपाठी ने बताया कि भीषण गर्मी की वजह से स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। उन्होंने कहा कि 17 जून से विद्यार्थी स्कूल आएंगे। उसके बाद मौसम को देखते हुए स्कूलों का समय में बदलाव किया जाएगा।

कल से महत्वाकांक्षी अभियान

# जलस्रोतों को बचाने हरित क्षेत्र का विकास होगा

भोपाल, दोपहर मेट्रो।

जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए कल 16 जून तक विशेष अभियान में जल संरचनाओं से मिलने वाले गंदे पानी के नाले अथवा नालियों को डायवर्सन के बाद शोधित कर जल संरचना में छोड़ा जाएगा। चिन्हित जल संरचनाओं की मोबाइल एप से जियो टैगिंग भी की जाएगी। जल संरचनाओं के किनारे अतिक्रमण से बचाने एवं नदी तालाबों के कटावों को रोकने के लिए हरित क्षेत्र पार्क का विकास जैसे कार्य किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि जन-जागरूकता के उद्देश्य से छह जून को प्रत्येक नगरीय निकाय में जल सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा।

आठ जून को जन भागीदारी से श्रमदान कर जल संरचनाओं की साफ सफाई की जाएगी। नौ जून को जल संरचनाओं के समीप कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा साथ ही नौ जून को ही जल संरक्षण विषय पर निबंध, चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्थानीय छात्र-छात्राएं सहभागिता करेंगे। 10 से 16 जून तक योजनानुसार जीर्णोद्धार के साथ-साथ जल संरचनाओं की साफ-सफाई भी होगी। 15 व 16 जून को गंगा दशमी के अवसर पर प्रमुख जल स्रोतों के किनारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत गंगा आरती, भजन समारोह इत्यादि आयोजित किये जाएंगे।

मेट्रो एंकर

1.25 लाख सीटें थी आवंटित, प्रदेशभर के कॉलेजों की 8.17 लाख सीटें

# कॉलेज प्रवेश: यूजी के पहले चरण में अंतिम तारीख तक 80 हजार सीटों पर हुए प्रवेश

भोपाल, दोपहर मेट्रो। प्रदेश के 1314 कॉलेज की यूजी-पीजी करीब 10.29 लाख सीटों पर प्रवेश के लिए काउंसलिंग जारी है। यूजी में प्रथम चरण में आवंटित सीटों पर प्रवेश के लिए सोमवार को अंतिम तारीख तक शाम तक करीब 80 हजार विद्यार्थियों ने शुल्क जमा कर प्रवेश लिए हैं। प्रदेश के कॉलेजों में सातक की करीब 7.98 सीटें हैं, इनमें से प्रथम चरण में 1.25 लाख सीटें आवंटित की गई थीं। इसमें शाम 6 बजे तक मात्र 80,284 प्रवेश हुए हैं, हालांकि रात 12 बजे तक ऑनलाइन फीस जमा करने समय निर्धारित है। इसके बाद सीट छोड़कर अपग्रेडेशन के विद्यार्थियों को सीटें आवंटित की जाएंगी।



## पीजी में पहले चरण की सीटें अटकी, दूसरे चरण के पंजीयन 14 तक

विभाग ने पीजी के पहले चरण के पंजीयन, चॉइस फिलिंग और सत्यापन की तारीख बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेजा था, लेकिन निर्णय नहीं हो सका। इस बीच पीजी में द्वितीय चरण शुरू कर दिया गया। इसकी प्रक्रिया चल रही है। इसमें पंजीयन 14 जून तक होंगे और सीट आवंटन 22 जून को होगा। पीजी में 2.12 लाख से अधिक सीटें हैं। इनमें प्रवेश के लिए एक तिहाई पंजीयन भी नहीं हुए हैं। पहले चरण में 41,932 पंजीयन, 39,215 चॉइस फिलिंग और 34,208 सत्यापन हुए हैं, इन्हें अभी तक सीटें आवंटित नहीं की गई हैं।

## यूजी-पीजी की 10.18 लाख सीटें

उल्लेखनीय है कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के 1,308 सरकारी और निजी कॉलेजों में यूजी-पीजी की करीब 10.18 लाख सीटों पर प्रवेश के लिए काउंसलिंग कराई जा रही है। इसमें पीजी में करीब 2.11 लाख और यूजी की लगभग 8.17 लाख सीटें हैं।

## बजट में फिट. शौक की नो लिमिट.

एशियन पेंट्स ट्रेक्टर स्पार्क इकोनॉमी इमल्शन

**TRACTOR SPARC**  
ECONOMY EMULSION









